

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 33 : Amount of tax to be indicated in tax invoice and other documents

Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, where any supply is made for a consideration, every person who is liable to pay tax for such supply shall prominently indicate in all documents relating to assessment, tax invoice and other like documents, the amount of tax which shall form part of the price at which such supply is made.

धारा 33 : कर बीजक और अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित की जाने वाले कर की रकम

इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई पूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जाती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसी पूर्ति के लिए कर संदाय करने के लिए दायी है, निर्धारण से संबंधित सभी दस्तावेजों, कर बीजक और अन्य समान दस्तावेजों में कर की उस रकम को, जो उस मूल्य का भाग होगी, जिस पर ऐसी पूर्ति की जाती है, प्रमुखतः उपदर्शित करेगा।
